

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
07.12.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 59 का उत्तर

एनपीएस कर्मचारियों के लिए नियम

59. श्री एस. वेंकटेशन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या नई पेंशन योजना (एनपीएस) के कर्मचारियों के लिए नियम अधिसूचित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या एनपीएस कर्मचारियों के संबंध में डीओपीटी द्वारा ग्रेच्युटी सहित अधिसूचित नियम रेलवे द्वारा एक वर्ष के बाद भी अभी तक लागू नहीं हुए हैं; और
- (ग) यदि हां, तो इसे कब तक अधिसूचित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क): जी नहीं।

(ख): जी हां।

(ग): केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 और केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 को अपनाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी और इस मंत्रालय के विभिन्न निदेशालयों के परामर्श से इस पर विचार-विमर्श किया जा रहा था।

बहरहाल, इसी बीच कार्मिक, जनशिकायत, कानून एवं न्याय की संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभाग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन और पेंशनरों से संबंधित मामलों में एक एकल इकाई बनाने के लिए डीओपीएंडपीडब्ल्यू के अधिकार क्षेत्र के भीतर रेलवे को एकीकृत

पेंशन की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए, डीओपीएंडपीडब्ल्यू ने व्यवहार्यता की जांच हेतु और रेलवे सेवकों/पेंशनरों/परिवारिक पेंशनरों के सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 सीसीएस (पेंशन का कम्प्यूटेशन) नियम 1981 सीसीएस (आसाधारण पेंशन) नियम 1939 सीसीएस (एनपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2021 और सीसीएस (एनपीएस के तहत ग्रेज्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के आवेदन के तौर-तरीकों के सुझाव के लिए रेल मंत्रालय और डीओपीएंडपीडब्ल्यू के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक समिति का गठन किया है।

इसके अलावा, अधिसूचना को अपनाने पर कार्रवाई समिति की सिफारिशों पर लिए गए अंतिम निर्णय के आधार पर की जाएगी।

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS**

**LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 59
TO BE ANSWERED ON 07.12.2022**

RULES FOR NPS EMPLOYEES

59. SHRI S. VENKATESAN:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether the Rules have been notified for New Pension Scheme (NPS) Employees and if so, the details thereof;**
- (b) whether the rules notified for NPS employees including for gratuity by DoPT have not yet been adopted by Railways even after one year; and**
- (c) if so, the time by which the same is likely to be notified?**

ANSWER

**MINISTER OF RAILWAYS, COMMUNICATIONS AND
ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY
(SHRI ASHWINI VAISHNAW)**

(a): No, Sir.

(b): Yes, Sir.

(c): Action for adoption of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 and Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021 was initiated and the same were under deliberation in consultation with different Directorates of this Ministry.

Cont....2/.

-:2:-

However, in the meantime, based on the recommendations of Department Related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice to explore the feasibility of integrating pensioners of Railways within the jurisdiction of the DoP&PW by making it a single entity in the matters related to pension and pensioners' welfare, DoP&PW constituted a committee comprising the representatives of Ministry of Railways and DoP&PW for examining the feasibility and for suggesting the modalities of application of the CCS(Pension) Rules, 2021, the CCS(Commutation of Pension) Rules, 1981, the CCS(Extraordinary Pension) Rules, 1939, the CCS (Implementation of NPS) Rules, 2021 and CCS(Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021 to the Railway servants/pensioners/family pensioners.

Further, action on adoption of the notifications will be taken based on the final decision taken on the recommendations of the committee.
